



**बरेली पुलिस**  
**प्रेस नोट दिनांक 01.09.2025**  
**थाना सीबीगंज**

**थाना बारादरी बरेली पुलिस द्वारा धर्म पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-**

दिनांक 01.09.2025 को थाना बारादरी क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम राशिद पुत्र इकरार अली निवासी बिलाल मस्जिद के पास थाना बारादरी बरेली (उम्र 24वर्ष जाति मुस्लिम) द्वारा धर्म से संबंधित एक भड़काऊ/आपत्तिजनक पोस्ट करने के संबंध में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1009/2025 धारा 299 बीएनएस बनाम राशिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

**सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी बारादरी के नेतृत्व में आज दिनांक 01.09.2025 को थाना बारादरी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 गौरव धामा चौकी जोगी नवादा मय चीता मोबाइल के साथ गस्त के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि हिन्दू धर्म पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला व्यक्ति जो आपके मुकदमे से सम्बन्धित है, जिसका नाम राशिद पुत्र इकरार अली निवासी बिलाल मस्जिद के पास थाना बारादरी बरेली, बिलाल मस्जिद के पास खड़ा है। मुखबिर की निशादेही पर राशिद पुत्र इकरार अली निवासी बिलाल मस्जिद के पास थाना बारादरी बरेली को एक मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।



**घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0 1009/2025 धारा 299 बीएनएस थाना बारादरी बरेली बनाम **1. राशिद पुत्र इकरार अली निवासी बिलाल मस्जिद के पास थाना बारादरी बरेली के विरुद्ध पंजीकृत है।**

**पूछताछ -**

अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया कि विगत माह में बीते हिन्दू - मुस्लिम के त्यौहार सकुशन सम्पन्न होने के कारण मेरे मन में कुण्ठा थी जिस कारण मैंने ये धार्मिक उन्माद फैलाने हेतु पोस्ट किया था।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहास:-**

1. राशिद पुत्र इकरार अली निवासी बिलाल मस्जिद के पास थाना बारादरी बरेली उम्र करीब 24 वर्ष।  
मु0अ0सं0 1009/2025 धारा 299 बीएनएस थाना बारादरी बरेली।

**बरामदगी**

01 मोबाइल वीवो।

**पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक धनंजय पाण्डेय थाना बारादरी बरेली।
2. उ0नि0 गौरव धामा थाना बारादरी बरेली।
3. हे0का0 1277 सुमित कुमार थाना बारादरी बरेली।
4. का0 2742 अंकुर गौतम थाना बारादरी बरेली।